<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बिरौल</u>

<u>Biraul PS- 43/20</u>
GR- 314/20

08.**<u>06.2020</u>** राष्ट्रीय लौकडाउन।

आवेदक अभियुक्त बिनोद यादव की ओर से वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रतिलिपि विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है। आवेदन प्रचालित किया गया।

बवाच पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकों की ओर से कोई भी जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक को इस झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदक एक चालक है जो गति सीमा में सावधानी से गाड़ी चला रहा था। प्रस्तुत कांड में सभी धाराएं जमानतीय है। आवेदक ने स्वेच्छापूर्वक न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है तथा न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी सुना।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कांड में सूचक के टंकित आवेदन पर धारा **188,269,270** भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराया गया, जिसमें सभी धाराएं जमानतीय है। घटना में बरामदगी नहीं है। आवेदक स्वेच्छापूर्वक न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण कर दिया है तथा न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से मो0 5000 X 2 रु0 के प्रतिभू प्रत्येक का जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत की सुविधा प्रदान की जाती है।

(लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी

<u>पश्चात</u>
08.06.2020

उपरोक्त आदेशानुसार आवेदक की ओर से बिना टिकट का जमानत बंध–पत्र, शपथ पत्र तथा प्रतिभूवों से संबंधित कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जिसे जांचोपरांत सही पाकर ..... किया जाता है। आवेदक को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया गया तथा निर्देश्श दिया जाता है कि वांछित टिकट शुल्क लौकडाउन के बाद अथवा टिकअ उपलब्ध होन पर जमा करें।।

(लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी

आवेदक गाड़ी मालिक विनोद यादक की ओर से एक आवेदन दाखिल कर प्रार्थना किया गया कि प्रस्तुत कांड में जप्त वाहन अपाची मोटर साईकिल को आवेदक के पक्ष में मुक्त करने की कृपा करें। आवेदन की प्रतिलिपि सहायक पदाधिकारी को दी गयी है।

आवेदन पर सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। काडं अभी अनुसंधान के क्रम में है। अतः कार्यालय लिपिक संबंधित थाना से प्रतिवेदन की मांग करें।

(लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी